

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19082023-248185 CG-DL-W-19082023-248185

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 30] नई दिल्ली, अगस्त 6—अगस्त 12, 2023, शनिवार/ श्रावण 15—श्रावण 21, 1945 No. 30] NEW DELHI, AUGUST 6—AUGUST 12, 2023, SATURDAY/SHARAVNA 15— SHARAVNA 21, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली. 3 अगस्त. 2023

सा.का.नि. 91.—राष्ट्रपित, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर (सफाई कर्मचारी) भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में बहुकार्यकर्मचारीवृन्द (सफाई कर्मचारी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातु:-

5057 GI/2023 (527)

Organisation, (South Zone) Chennai - Member; 3. Group 'A' Officer of an Office or Laboratory under Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare. – Member. Group 'C' Departmental **Promotion Committee (for** considering promotion) consisting of: 1. Director, Central Drugs Testing Laboratory Chennai -Chairman; 2. Deputy Drugs Controller (India) Central Drugs Standard Control Organisation, (South Zone) Chennai - Member; 3. Group 'A' Officer of an Office or Laboratory under Director General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare. - Member.

[F. No. A.12018/4/2020-DR-(PT.VI)] BIKASH R. MAHATO, Under Secy.

वस्त्र मंत्रालय

[विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प)] (राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय)

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2023

सा.का. नि. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विकास आयुक्त (हस्तिशल्प), राष्ट्रीय हस्तिशल्प और हथकरघा संग्रहालय (अनुरक्षण अधिकारी और स्टोर पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1993 को, जहाँ तक उनका संबंध अनुरक्षण अधिकारी से हैं, और विकास आयुक्त, हस्तिशल्प, राष्ट्रीय हस्तिशल्प और हथकरघा संग्रहालय (समूह 'ग' और घ' पदों) भर्ती नियम, 1994 को, जहाँ तक उनका संबंध प्रदर्शनी अधिकारी से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तिशल्प और हथकरघा संग्रहालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तिशल्प) में प्रदर्शनी अधिकारी और अनुरक्षण अधिकारी के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तशिल्प), राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, प्रदर्शनी अधिकारी और अनुरक्षण अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु—सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति –

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
- 6. व्यावृति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित हैं।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैटिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु—सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. प्रदर्शनी अधिकारी	*01 (2023) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (रु.35400 — 112400)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे मर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	मर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में व श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया किया जाएगा ।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दों वर्ष। टिप्पणः सक्षम प्राधिकारी	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) या प्रोन्नति द्वारा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)— केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	नियमित सेवा पूरी कर ली हो और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हो, पर भी बाहरी व्यक्तियों के साथ विचार किया जायेगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी को पद पर नियुक्ति के लिए चयनित किया जाता है; तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जायेगा।	
	टिप्पणः जहां ऐसे कनिष्ठ कर्मचारियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्र सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित पर विचार किया जा रहा है, वहाँ उनके वरिष्ठ कर्मचारियों के नाम पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनके द्वारा की गई अर्हक अथवा पात्र सेवा अपेक्षित अर्हक अथवा पात्र सेवा अपेक्षित अर्हक अथवा पात्र सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष इनमें से जो भी कम हो, से कम नही है तथा उन्होंने अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के साथ जिन्होंने ऐसी अर्हक अथवा पात्र सेवा पहले पूरी कर ली है, अगली उच्च श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	*01 (2023)	साधारण	वेतन	लागू नहीं	तीस वर्ष से	आवश्यकः किसी मान्यताप्राप्त
अनुरक्षण	*कार्यभार के	केंद्रीय सेवा	मैट्रिक्स में	होता	अधिक नहीं।	विश्वविद्यालय से स्नातक की
अधिकारी	आधार पर	समूह 'ख',	स्तर–6			उपाधि।
	परिवर्तन	अराजपत्रित,	(ক.35400		(केंद्रीय सरकार	
	किया जा	अननुसचिवीय	– 112400)		द्वारा जारी	टिप्पण 1 : अहर्ताए, अन्यथा
	सकता है।	_			निर्देशों या	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन
					आदेशों के	कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए
					अनुसार विभागीय	जाए कर्मचारी चयन आयोग के
					सेवकों के लिए	विवेकानुसार शिथिल की जा
					पॉच वर्ष तक की	सकती हैं।
					छूट की जा	टिप्पण 2ः अनुभव संबंधी अर्हताएं
					संकती हैं।)	उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध
						किए जाए कर्मचारी चयन आयोग
					टिप्पण:	के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों
					आयु—सीमा	या अनुसूचित जनजातियों के
					निर्धारित करने	अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल
					की महत्वपूर्ण	की जा सकती है जब चयन के
					तारीख कर्मेचारी	किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन
					चयन आयोग	आयोग की यह राय है कि उनके
					द्वारा विज्ञापित	लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के
					होगी।	लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले
						उन समुदायों के अभ्यर्थियों के
						पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की
						संभावना नहीं है।

(0)	(0)	(10)	(11)	(40)	(42)
(8) लागू	(9) सीधी भर्ती	(10) प्रतिनियुक्ति	(11) प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत	(12) समूह 'ख' विभागीय	(13) संघ लोक सेवा
नहीं	किए जाने	(जिसके	अल्पकालिक संविदा भी है) या आमेलन	पुष्टि समिति (पुष्टि	आयोग से
होता।	वाले	अंतर्गत	द्वारा–	के संबंध में विचार	परामर्श करना
	व्यक्तियों के	अल्पकालिक	केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या	करने के लिए)	आवश्यक नहीं
	लिए दो वर्ष।	संविदा भी है)	संघ राज्यक्षेत्रों या मान्यता प्राप्त	जिसमें निम्नलिखित	है ।
		या आमेलन्	अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों	होंगे :-	
	A	द्वारा, जिसके	या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अर्ध	(i) वरिष्ठ निदेशक	
	टिप्पणः	न हो सकने पर सीधी भर्ती	सरकारी या कानूनी अथवा स्वायत्त	(संग्रहालय) – अध्यक्ष	
	सक्षम	वर साधा नता द्वारा।	संगठनों के ऐसे अधिकारी:	, ,	
	प्राधिकारी	alvi i	(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग	(ii) निदेशक	
	द्वारा		में नियमित आधार पर सदृश पद	(हस्तशिल्प) – सदस्य	
	यथाविहित परिवीक्षा को		धारण किया हुआ है; या	(iii) मुख्यालय से	
	पारवाक्षा का सफलतापूर्वक			सहायक निदेशक या	
	पूरा करने के		(ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में	संग्रहालय से	
	लिए कम से		वेतन मैट्रिक्स के स्तर —5 (रु 29200—92300) या समतल्य में	प्रशासनिक अधिकारी	
	कम दो		29200—92300) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात	– सदस्य	
	सप्ताह की		उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो,		
	अवधि का		और		
	आज्ञापक				
	प्रारंभिक		(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यता और		
	प्रशिक्षण होगा।		अनुभव रखता हो।		
	हागा ।		(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय		
			से स्नातक की उपाधि।		
			(ii) एक सरकारी संगठन में अधिमानतः		
			एक संग्रहालय में रखरखाव कार्य या		
			स्टोर खरीद या स्टोर हैंडलिंग में दो		
			वर्ष का अनुभव।		
			टिप्पण 1ः केवल केंद्रीय सरकार या		
			राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्रों के		
			अधिकारी ही आमेलन के आधार पर		
			नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।		
			टिप्पण 2ः प्रतिनियुक्ति की अवधि,		
			जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी		
			या किसी अन्य संगठन या विभाग में		
			इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित		
			किसी अन्य काडर बाह्य पद पर		
			प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया		
			तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
			टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के		
			लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन		
			प्राप्त करने की अंतिम तारीख को		
			छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
	l .	l .	<u>l</u>		I .

[फा. सं. 02/34/2022-एनसीएम एवं एचकेए] सोहन कुमार झा, वरिष्ठ निदेशक

MINISTRY OF TEXTILES

[Office of the Development Commissioner (Handicrafts)]

(NATIONAL HANDICRAFTS AND HANDLOOMS MUSEUM)

New Delhi, the 2nd August, 2023

- **G.S.R.**. **95.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum(Maintenance Officer and Stores Supervisor) Recruitment Rules, 1993, in so far as they relate to the post of Maintenance Officer, and the Development Commissioner for Handicrafts, National Handicrafts and Handlooms Museum (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1994, in so far as they relate to the post of Exhibition Officer, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Exhibition Officer and Maintenance Officer, in the Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Ministry of Textiles, namely:-
- 1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Textiles, Office of the Development Commissioner (Handicrafts), National Handicrafts and Handlooms Museum, Exhibition Officer and Maintenance Officer (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of post, classification and level in pay matrix.**—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- **4. Disqualification.**—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Exhibition Officer	*01 (2023) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non- Gazetted, Non- Ministerial	Level-6 in the pay matrix (Rs.35400– 112400)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

who have alre	
qualifying or e	

	I (6)	I (c)	I 25	I /-:	7.5	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Maintenance	*01 (2023)	General	Level-6 in	Not	Not exceeding	Essential: Bachelor's
Officer.	*Subject to	Central	the pay	applicable.	thirty years of	Degree from a
	variation	Service,	matrix		age.	recognised University
	dependent	Group 'B',	(Rs.35400		(Relaxable for	or institute.
	on	Non-	- 112400) .		the	Note 1: Qualifications
	workload.	Gazetted,			Government	are relaxable at the
		Non-			servants up to	discretion of the Staff
		Ministerial.			the age of five	Selection Commission
					years in	or competent authority,
					accordance	for reasons to be
					with the	recorded in writing, in
					instructions or	case of candidates
					orders issued	otherwise well
					by the Central	qualified.
					Government).	Note 2: The
					Note : The	qualifications regarding
					crucial date for	experience are relaxable
					determining	at the discretion of the
					the age-limit	Staff Selection
					shall be as	Commission or
					advertised by	competent authority, for
					the Staff	reasons to be recorded
					Selection	in writing in case of
					Commission.	candidates belonging to
						the Scheduled Castes or
						the Scheduled Tribes, if
						at any stage of selection,
						the Staff Selection
						Commission or competent authority, is
						1
						of the opinion that sufficient number of
						candidates from these
						communities possessing
						the requisite experience
						are not likely to be
						available to fill up the
						vacancy reserved for
						them.
						V.1. V.1. V.1. V.1. V.1. V.1. V.1. V.1.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two years	Deputation	By deputation (including short-term	Departmental	Consultation
applicable.	for direct	(including	contract)/ absorption:	Confirmation	with Union
	recruits.	short-term	Officers of the Central Government	Committee (for	Public
	Note:	contract)/	or State Governments or Union	considering	Service
	There shall	absorption,	territories or autonomous body or	confirmation)	Commission
	be a manda-	failing	statutory organisation or public	consisting of:-	is not
	tory	which by	sector undertaking or University or	1. Senior	necessary.
	induction	direct	recognised research institution,-	Director	
	training of at	recruitment.		(Museum)	
	least two		(a) (i) holding analogous post on	– Chairman;	
	weeks		regular basis in the parent cadre or	2. Director	
	duration for		Department; or	(Handicrafts)	

	725 14 1 1 1 1)
successful of	(ii) with six years service in the	– Member;
probation as	grade rendered after appointment	3. Deputy
prescribed	thereto on regular basis in level-5 in	Director from
by the Central	the pay matrix (Rs. 29200-92300) or	Headquarter or
	equivalent in the parent cadre or	Administrative
Government.	Department; and	Officer from
	(h) massasina the fallowing	Museum - Member.
	(b) possessing the following educational qualifications and	- Member.
	1	
	experience,- (i) Bachelor's Degree from a	
	recognised University or institute;	
	(ii) two years experience in	
	maintenance work or store	
	procurement or store handling in a	
	Government organisation preferably	
	in a Museum.	
	in a riagodin.	
	Note 1: Only officers of the Central	
	Government or State Governments	
	or Union territories shall be eligible	
	to be considered for appointment in	
	absorption basis.	
	Note 2: The period of deputation	
	(including short-term contract)	
	including period of deputation	
	(including short-term contract) in	
	another ex-cadre post held	
	immediately preceding this	
	appointment in the same or some other organisation or Department of	
	the Central Government shall	
	ordinarily not exceed three years.	
	Note 3: The maximum age-limit	
	for appointment by deputation	
	(including short-term contract) shall	
	not be exceeding fifty-six years as	
	on the closing date of receipt of	
	applications.	
		FE N. 02/24/2022 NGM 8 HHZ A

[F. No. 02/34/2022-NCM&HKA]

SOHAN KUMAR JHA, Senior Director

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2023

सा.का. नि. 96.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तिशिल्प), कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तिशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2016 को, जहाँ तक उनका संबंध वीथी परिचर से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, वस्त्र मंत्रालय, राष्ट्रीय हस्तिशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, विकास आयुक्त कार्यालय (हस्तिशिल्प) में वीथी परिचर के पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, राष्ट्रीय हस्तशिल्प और हथकरघा संग्रहालय, वीथी परिचर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2023 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।